संख्या – 763/V–2011–126(आ0)/2010

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 25 मई, 2011

विषय : लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन परिसर घण्टाघर देहरादून में व्यवसायिक भवन एवं पार्किंग के निर्माण कार्य की प्रशासकीय तथा व्यय की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–4071/लेखा/2011 दिनांक 18 मार्च, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– इस सम्बन्ध में उल्लेख कराना है कि वित्तीय वर्ष–2010–2011 में चकराता रोड चौड़ीकरण करने की योजना के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन परिसर घंटाघर, देहरादून में व्यवसायिक भवन एवं वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत दो कमरों के 96 आवासों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सं0–275/V/2010 –126(आ0)/10 दिनांक 03–2–2011 के द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा प्रेषित प्रथम चरण के कार्यो हेतु अनुमानित लागत रू0 56.86 लाख के आगणन के सापेक्ष तकनीकी परीक्षणोपरांत संस्तुत लागत रू0 54.61 लाख (रू0 चौवन लाख इकसठ हजार मात्र) के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें से व्यवसायिक भवनों के निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्यों हेतु रु0 46.40 लाख एवं दो कमरों के 96 आवासों का निर्माण हेतु 8.61 लाख की धनराशि सम्मिलित थी ।

3– इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चकराता रोड चौड़ीकरण के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन परिसर घंटाघर, देहरादून में व्यवसायिक भवन एवं पार्किंग के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रु0 3479.62 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त एवं व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित कुल 3412.36 लाख (रुपये चौंतीस करोड़ बारह लाख छत्तीस हजार मात्र), जिसमें व्यवसायिक निर्माण कार्य एवं पार्किंग हेतु रु0 3117.16 लाख तथा लिफ्ट, विद्युतीकरण के कार्य हेतु रु0 295.20 लाख की धनराशि सम्मिलित है, अर्थात कुल रुपये 3412.36 लाख (रुपये चौंतीस

करोड़ बारह लाख छत्तीस हजार मात्र) की लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए महामहिम राज्यपाल योजना की कुल लागत रु0 3412.36 लाख का 2/3 अर्थात रु0 2274.91 लाख (रुपये बाइस करोड़ चौहत्तर लाख इक्यानवे हजार मात्र) राज्य सरकार द्वारा एवं 1/3 अर्थात 1137.45 लाख(रुपये ग्यारह करोड़ सैंतीस लाख पैंतालिस हजार मात्र) मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा वहन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

4– चूंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु रु0 3412.36 लाख का 2/3 अर्थात रु0 2274.91 लाख की धनराशि निर्गत की जानी है, अतः इसके विपरीत 50 प्रतिशत अर्थात रु0 1137.45 के सापेक्ष इस योजना के प्रारम्भिक चरण हेतु अवमुक्त की गई धनराशि रु0 46.40 लाख की धनराशि को कम करते हुए शेष धनराशि रु0 1091.05 लाख (रुपये दस करोड़ इक्यानवे लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष–2011–12 में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करने की भी महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) विस्थापित व्यवसायियों को दुकानें आवंटित करने का प्रकरण एक नीतिगत प्रकरण है, जिस पर राज्य सरकार में सक्षम स्तर से निर्णय कराया जायेगा ।

(2) उपकरण इत्यादि civil work से अलग प्रकृति के होने के कारण टी0ए0सी0 वित्त द्वारा ऐसे उपकरणों की खरीद को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कराये जाने हेतु SITC उपकरण की लागत रुपये 295.20 लाख की धनराशि को पुनरीक्षित आगणन में कम किया गया। पुनरीक्षित आगणन की लागत रु0 3117.16 लाख में SITC उपकरण की estimated cost रु0 295.20 लाख को जोड़ते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन की कुल धनराशि रु0 3412.36 लाख पर सहमति इस निर्देश के साथ कि SITC उपकरणों की खरीद हेतु विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि उपकरण हेतु आगणित धनराशि procurement rules के माध्यम से price discovery के आधार पर आंकलित की जाएगी ।

(3) Third party inspection/Monitoring की व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जाये ।

(4) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त स्वीकृति से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय तथा व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृति की जा रही है।

(5) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं तदविषयक निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(6) कार्य करने से पूर्व मदवार विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा। आय का विभाजन भी इसके वित्त पोषण के अनुपात में करके तब तदनुसार ही 2/3 व 1/3 के अनुपात में किया जायेगा ।

(7) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृति की गई है स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(8) निर्माण कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों एवं विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ही सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XVI/219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(10) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–8–2011 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये जायेगा।

(12) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(13) योजना की लागत के विपरीत 50 प्रतिशत के विपरीत राज्य सरकार के द्वारा देय राज्यांश के रुप में अवशेष धनराशि के विपरीत इतना ही एम0डी0डी0ए0 के लिए मात्राकृत 1/3 की लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रु0 508.725 (रुपये पांच करोड़ आठ लाख बहत्तर हजार पांच सौ मात्र) का बजट एम0डी0डी0ए0 द्वारा भुगतान करके राज्य सरकार एवं एम0डी0डी0ए0 द्वारा अवमुक्त संकलित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव किया जायेगा ।

5– स्वीकृत धनराशि का आहरण उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बिल बनवाकर दो समान किश्तो में जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर से

किया जायेगा। पूर्व किश्त तथा उस पर एम0डी0डी0ए0 के अंश का पूर्ण उपयोग करने के बाद ही आगामी किश्त का आहरण किया जायेगा तथा निर्माण एजेन्सी के सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा ।

6— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष—2011—2012 में अनुदान संख्या—13 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनेत्तर—191—स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता—03 नगरों का समेकित विकास—0312—भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वासन—24 वृहत निर्माण" के नामें डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त अनुभाग—2 के अशा0 संख्या—112/xxvii(2)/2011, दिनांक 23 मई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है ।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या—763(1)/V/आ0—2—2011—तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
(2) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
(3) सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
(4) जिलाधिकारी, देहरादून ।
(5) परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, ई—34 नेहरु कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
(7) वित्त अनुभाग—1, उत्तराखण्ड शासन।
(8) नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
(9) निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
(10) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
24/05/11
(आर0के0 सुधांशु)
अपर सचिव